न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 40/2015 (बांसवाड़ा डिक्री)

1. भारतु पिता वाला, जाति भील, निवासी टाण्डा मंगला मजरा कुपडा, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. दलहींग पिता कालिया, जाति भील, निवासी टाण्डा मंगला मजरा कुपडा, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. हुरतिंग पिता कालिया, जाति भील, निवासी टाण्डा मंगला मजरा कुपडा, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. मंगलिया पिता दीता, जाति भील, निवासी टाण्डा मंगला मजरा कुपडा, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (मृतक) के वारिसान :–

4/1. दिनेश पिता मंगलिया, पिता दीता, जाति भील, निवासी टाण्डा मंगला मजरा कुपडा, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

4/2. गोबजी पिता मंगलिया, पिता दीता, जाति भील, निवासी टाण्डा मंगला मजरा कुपडा, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

4/3. प्रकाश पिता मंगलिया, पिता दीता, जाति भील, निवासी टाण्डा मंगला मजरा कुपडा, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

5. नूरजी पिता दीता, जाति भील, निवासी टाण्डा मंगला मजरा कुपडा, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
6. फुलजी पिता दीता, जाति भील, निवासी टाण्डा मंगला मजरा कुपडा, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
7. झीतरा पिता दीता, जाति भील, निवासी टाण्डा मंगला मजरा कुपडा, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. हडिया दत्तक पुत्र कला, जाति भील, निवासी टाण्डा मंगला मजरा कुपडा, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. हूरजी पिता रावजी, जाति भील, निवासी टाण्डा मंगला मजरा कुपडा, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

3. शामजी पिता रावजी, जाति भील, निवासी टाण्डा मंगला मजरा कुपडा, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

4. काली बेवा रावजी, जाति भील, निवासी टाण्डा मंगला मजरा कुपडा, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

5. भूमिधारी तहसीलदार कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ़
दिनांक 31.12.2009 व अंतिम डिक्री
दिनांक 15.03.2010 प्र.सं. 208/2006

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1— श्री एम. के. गांधी अभिभाषक अपीलान्टगण
2— श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाषक रे.सं. 1 व 2
3— राजकीय पैरोकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5

———::———

निर्णय **दिनांक 11—12—2019**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार होकर ग्राम टाण्डा मंगला में आराजी नंबर 631, 634, 636, 637, 641, 658, 666, 680, 701, 702, 703, 705, व 1348/640 कुल किता 13 रकबा 31.09 बीघा भूमि स्थित है, जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है। चालू जमाबन्दी संवत् 2058 से 2061 में कोलम संख्या 4 में सहखातेदार के रूप में दलहींग, हुरतींग पिता कालिया व हुरजी, हडिया, शामजी पिता रावजी, काली बेवा रावजी 1/3 तथा मंगलिया, नूरजी, फुलजी, झीतरा पिता दीपा 1/6 एवं मडी बेवा कला 1/2 हिस्से से दर्ज होकर नामान्तरकरण संख्या 877 दिनांक 15—10—2001 से दलहींग, हुरतींग पिता कालिया व हुरजी, हडिया, शामजी पिता रावजी,

काली बेवा रावजी 1/3 तथा मंगलिया, नूरजी, फुलजी, झीतरा पिता दीपा 1/6 एवं मडी बेवा कला व भारतु पिता वाला भील के नाम दर्ज हुई तथा सहखातेदारी मडी बेवा कला द्वारा वादी को रजिस्टर्ड गोदनामे से गोद लेने पर गोदनामा के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 990 दिनांक 05–12–2004 से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के नाम विवादित भूमियां दर्ज हुई। वादी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है, जिसे उसे विभाजन से प्राप्त करने का कानूनन अधिकार है। अतः वाद वर्णित भूमियों का नियमानुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के मध्य विभाजन कराया जावे एवं अन्य न्यायिक अनुतोष वादी को दिलाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा वाद वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया गया, जबकि प्रतिवादी संख्या 4 से 10 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कुल 5 तनकियात कायम की गयी।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 31–12–2009 से वादीगण का वाद स्वीकार कर बंटवाड़े की डिक्री जारी की तत्पश्ताच प्राप्त फर्द बंटवाड़े के आधार पर दिनांक 15–03–2010 को प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 18–12–2015 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्टगण ग्रामीण कृषक होने से उन्हें कानून की जानकारी नहीं थी तथा अकाल पड़ने से मजदूरी हेतु बाहर रहने से अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सके। माह अगस्त 2015 में रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अपीलान्टगण को धमकियां देने से उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अतः मयाद कण्डोन की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री जयेन्द्र पुरोहित उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 व 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

जहां तक दफा 5 जाब्ता मियाद के आवेदन का प्रश्न है, अपीलान्टगण ग्रामीण परिवेश का होकर कानून की जानकारी नहीं के होने का कथन करते हुए उक्त आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसका कोई खण्डन रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र में अंकित कारणों, अखण्डित शपथ पत्र व न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वकील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा बताया कि जमीन की किस्म व उपजाउ क्षमता तथा मौके पर काबिज अनुसार बंटवाड़ा नहीं किया गया है तथा अपीलान्टगण/प्रतिवादीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है एवं अपीलान्टगण व उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है। अतः अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त किया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को साक्ष्यों के अनुसार होना बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में दिनांक 31–12–2009 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हालांकि तनकीवार विवेचन किया गया है, किन्तु वादी के वाद का मुख्य आधार गोदनामा था, जो उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं अधिनस्थ न्यायालय ने मात्र मौखिक साक्ष्यों के आधार पर वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

जहां तक अंतिम डिक्री का प्रश्न है, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 23–02–2010 को पत्रावली दिनांक 30–03–2010 के लिए रखी गयी, किन्तु इससे पूर्व ही अपीलान्टगण/प्रतिवादीगण को इसकी बिना सूचना दिये एवं उन्हें बिना सुने दिनांक 15–03–2010 को प्रकरण रखकर प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर अंतिम डिक्री जारी कर

दी गयी, जो प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिद्धातों के विरूद्ध होने से त्रुटि पूर्ण होकर अपास्त योग्य है, जिसके लिए अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट के अधिवक्ता सहमत हैं।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 31–12–2009 व अंतिम डिक्री दिनांक 15–03–2010 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारान को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर गोदनामा व दावे के अन्य बिन्दुओं पर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 11–02–2020 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 11–12–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

चुनिया पिता दिपा, जाति भील, नि0 ग्राम भीमगढ़, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा व अन्य बनाम **दिता पिता हड़िया, जाति भील, नि0 ग्राम भीमगढ़, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा व अन्य**

अपील नं.....**59 / 2016**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **कुशलगढ़** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....22**.....माह.....**07**.....**2003**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**22**....माह.....**.10**.....सन् **2016** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री दिलीप त्रिवेदी**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री नन्दलाल पुरोहित**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22–07–2003 यथावत रखी जाती है। .

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**.22**.....माह.....**.10**.....**2016** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.01.01 15:23:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: